भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *234

09.03.2026 को उत्तर के लिए

नगर वन योजना

234. श्री बृजमोहन अग्रवाल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर वन योजना की मुख्य विशिष्टताएं क्या हैं और विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजना के लिए बजटीय आवंटन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत शहरी वनों की स्थिति और छत्तीसगढ़ में अनुमोदित परियोजनाओं की सूची क्या है और तत्संबंधी विकास की स्थिति और आवंटित बजट का नगर वन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सजावटी पौधों की तुलना में देशी प्रजातियों का न्यूनतम अनुपात अनिवार्य करने के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक मानदंड मौजूद हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये मनोरंजक उद्यानों के बजाय पारिस्थितिकीय इकाइयों के रूप में कार्य करें;

(घ) अनिवार्य रख-रखाव अवधि समाप्त होने के बाद पौधों के जीवित रहने की दर की संपरीक्षा करने के लिए वर्तमान में क्या तंत्र मौजूद है और क्या राज्य को दिए जाने वाले भावी अनुदान इस उत्तरजीविता से संबंधित आंकड़ों से जुड़ा हुआ है; और

(ङ) अधिकतम हरित क्षेत्र और जैव-विविधता के लिए कंक्रीट की चारदीवारी के स्थान पर देसी झाड़ियों का उपयोग करके किफायती "जैव-बाड़" को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

नगर वन योजना के संबंध में दिनांक 09.03.2026 को उत्तर के लिए श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *234 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) नगर वन योजना (एनवीवाई) शहरों और कस्बों में हरित आवरण में वृद्धि करने, जैव विविधता को बढ़ावा देने तथा शहरी निवासियों को मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराने के लिए नगर वन विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह योजना राज्य वन विभागों के माध्यम से लागू की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए विकास और रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बजटीय आवंटन का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) नगर वन योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर अनुमोदित किया गया है। छत्तीसगढ़ सहित स्वीकृत नगर वनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **अनुलग्नक–II** में दी गई है। छत्तीसगढ़ में स्वीकृत नगर वनों की सूची, उनके विकास की स्थिति तथा नगर वन-वार बजट आवंटन के विवरण सहित **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

(ग) योजना के दिशानिर्देशों में पारिस्थितिकीय स्थिरता तथा जैव विविधता का संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल देशी/स्थानीय प्रजातियों के पौधारोपण पर जोर दिया गया है। हालांकि, इसके लिए कोई निश्चित संख्या अनुपात समान रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, तथापि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे देशी प्रजातियों को प्राथमिकता दें तथा सजावटी/विदेशी प्रजातियों को सीमित करें ताकि नगर वन केवल मनोरंजन पार्क न होकर पारिस्थितिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।

(घ) पौधारोपण की उत्तरजीविता की निगरानी राज्य वन विभागों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण, जियो-टैगिंग तथा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करके की जाती है। अगली किस्तों की राशि जारी करना उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर करता है। भविष्य में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करते समय पौधों की उत्तरजीविता की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ङ) दिशानिर्देशों में पर्यावरण-अनुकूल तथा लागत-प्रभावी उपायों के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें कंक्रीट की चारदीवारी के स्थान पर यथा-व्यवहार्य देशी झाड़ियों और हेज के माध्यम से जैव-बाड़ शामिल है जिससे हरित आवरण और जैव विविधता में वृद्धि होती है। इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त स्थानीय प्रजातियों को अपनाने की सलाह दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

नगर वन योजना के संबंध में दिनांक 09.03.2026 को उत्तर के लिए श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए लोक सभा प्रश्न सं. *234 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	358.61	5888.36	3549.55	1240.47
3	अरुणाचल प्रदेश	56	0	24	208.97
4	असम	0	0	0	0
5	बिहार	137.61	44.80	15.16	0
6	चंडीगढ़	13.41	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	0	0	762.78
8	गोवा	0	61.59	0	0
9	गुजरात	203	0	242.5	0
10	हरियाणा	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	319.4	0	0	0
12	जम्मू और कश्मीर	476.28	107.34	787.25	0
13	झारखंड	1341.41	145.29	0	507.2
14	कर्नाटक	0	260.44	1598.65	0
15	केरल	0	0	0	473.35
16	मध्य प्रदेश	1175.09	0	3260.97	2705.41
17	महाराष्ट्र	193.87	0	0	0
18	मणिपुर	0	0	0	208.96
19	मेघालय	242.76	0	0	0
20	मिजोरम	1766.1	121.74	0	0
21	नागालैंड	0	1892.49	172.44	616.08
22	ओडिशा	0	0	0	0
23	पंजाब	0	360.53	0	0
24	राजस्थान	848.12	72.8	914.96	1292.63
25	सिक्किम	390.97	42	653.48	0
26	तमिलनाडु	630	0	0	0
27	तेलंगाना	585.68	0	1890	826.7
28	त्रिपुरा	0	151.44	0	0
29	उत्तर प्रदेश	5.6	0	831.6	110.84
30	उत्तराखंड	86.72	0	0	0
31	पश्चिम बंगाल	16.8	158.07	0	0
कुल		8847.43	9306.90	13940.57	8953.41

अनुलग्नक-II

नगर वन योजना के संबंध में दिनांक 09.03.2026 को उत्तर के लिए श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *234 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाएं	कुल अनुमोदित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	अंडमान और निकोबार	1	21.15
2	आंध्र प्रदेश	73	3708.41
3	अरुणाचल प्रदेश	4	100
4	असम	3	59
5	बिहार	6	113.02
6	चंडीगढ़	1	6.79
7	छत्तीसगढ़	14	459.23
8	गोवा	1	50
9	गुजरात	11	188.5
10	हरियाणा	5	168.54
11	हिमाचल प्रदेश	6	172.07
12	जम्मू और कश्मीर	40	466.17
13	झारखंड	30	597.36
14	कर्नाटक	26	868.11
15	केरल	28	401.501
16	मध्य प्रदेश	94	3131.43
17	महाराष्ट्र	9	184.14
18	मणिपुर	4	138.53
19	मेघालय	2	86.7
20	मिजोरम	16	730.8
21	नागालैंड	27	701.7
22	ओडिशा	35	662.66
23	पंजाब	13	174.9
24	राजस्थान	35	1179.9
25	सिक्किम	9	339.63
26	तमिलनाडु	10	435
27	तेलंगाना	67	1991.6
28	त्रिपुरा	4	124.5
29	उत्तर प्रदेश	34	1060.22
30	उत्तराखंड	5	99.27
31	पश्चिम बंगाल	14	97.48
	कुल	627	18518.31

अनुलग्नक-III

नगर वन योजना के संबंध में दिनांक 09.03.2026 को उत्तर के लिए श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *234 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	नगर/जिला	स्थल/कस्बे का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	अनुमोदित लागत	जारी की गई कुल राशि
1	कोंडागांव	पीएफ449 कोपाबेड़ा	50	205.3	205.31
2	बिलासपुर	फधाखार	50	200.5	200.5
3	रायपुर	सोंदाग्री	30.63	123.02	123.016
4	दुर्ग	तालपुरी	14	56.5	56.5
5	उरदना रायगढ़	उरदना घटक सं. 6 आरएफ	50	200.5	200.5
6	सरगुजा	मल्लनलाया पहाड़ आरएफ. 2582	50	200.5	200.5
7	गरियाबंद	छुरा, घटक सं. पी236, पी 313	10	20	14
8	गरियाबंद	मरोदा, घटक सं. ए 0570, भूतेश्वर नाथ	50	174.5	122.15
9	नारायणपुर	नारायणपुर, घटक सं. ओए 2353, 2365	24.6	89.22	62.45
10	धमतरी	मगरलोद घटक सं.	10	34.9	24.43
11	मनेंद्रगढ़	मनेंद्रगढ़, घटक सं. पी 704	30	99.9	69.93
12	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा, घटक सं.पी 1378	10	21.95	15.37
13	सुकमा	सुकमा, घटक सं. आरएफ175	50	139.5	97.65
14	बीजापुर	बीजापुर, घटक सं.ओए 158	30	87	60.9

*****